"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल 2015—चैत्र 27, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नोखेलाल साहू पिता स्व. सुभऊराम साहू, आयु 38 वर्ष, निवासी- मीलपारा, रिसाली गांव, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेन कार्ड तथा मेरे बच्चों के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम नोखेलाल साहू दर्ज है तथा मेरे दाखिला खारिज रजिस्टर में मेरा नाम नोखेराम साहू दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम नोखेलाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे नोखेलाल साहू आत्मज स्व. सुभऊराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
नोखेराम साहू आत्मज-श्री स्व. सुभऊराम साहू निवासी-मीलपारा, रिसाली गांव तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	नोखेलाल साहू आत्मज-श्री स्व. सुभऊराम साहू निवासी-मीलपारा, रिसाली गांव तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, छबिलाल साहू पिता श्री पचकौड़ राम साहू, आयु 50 वर्ष, निवासी–क्वा. नं.–126/एफ, रिसाली सेक्टर भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम छबिलाल दर्ज हो गया है तथा मेरे आधार कार्ड में छबिलाल साहू दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम छबिलाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे छबिलाल साहू पिता श्री पचकौड़ राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

छबिलाल
पिता–श्री पचकौड़ राम साहू
निवासी–क्वा. नं. 126 एफ., रिसाली सेक्टर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

छबिलाल साहू
पिता–श्री पचकौड़ राम साहू
निवासी–क्वा. नं. 126 एफ., रिसाली सेक्टर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सत्यवान पिता श्री हरेन्द्र कुमार माता श्रीमति फुलेश्वरी बाई, उम्र 28 वर्ष, जाति तेली (साहू) निवासी–ग्राम+पोष्ट सिलौटी, तहसील कुरूद, थाना भखारा, जिला धमतरी (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, अभिलेखों, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन एवं समस्त शासकीय प्रमाण पत्रों में मेरा नाम सत्यवान पिता हरेन्द्र कुमार दर्ज है वह सत्य व सही है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सत्यम साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सत्यम साहू पिता श्री हरेन्द्र कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सत्यवान
पिता–श्री हरेन्द्र कुमार
निवासी–ग्राम+पोष्ट सिलौटी, थाना भखारा
तहसील कुरूद, जिला धमतरी (छ. ग.)

नया नाम

सत्यम साहू
पिता–श्री हरेन्द्र कुमार
निवासी–ग्राम+पोष्ट सिलौटी, थाना भखारा
तहसील कुरूद, जिला धमतरी (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति अश्विनी ढ़ोबले पति श्री संदीप ढ़ोबले, निवासी- एम. आई. जी.-1/567 हुड़को आमदी नगर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के मेडिकल बुक/ दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमति अश्विनी एस. ढ़ोबले दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति अश्विनी ढ़ोबले रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे अश्विनी ढ़ोबले पति श्री संदीप ढ़ोबले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमति अश्विनी एस. ढ़ोबले
(Smt. Ashwini S. Dhoble)
पति-श्री संदीप ढ़ोबले (Shri Sandeep Dhoble)
निवासी-एम. आई. जी.-1/567, आमदी नगर हुड़को भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमति अश्विनी ढ़ोबले
(Smt. Ashwini Dhoble)
पति-श्री संदीप ढ़ोबले (Shri Sandeep Dhoble)
निवासी-एम. आई. जी.-1/567, आमदी नगर हुड़को भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पूनाराम साहू आत्मज मनसाराम साहू, उम्र 50 वर्ष, निवासी-ग्राम बासीन, पो. करंजा भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम पूनाराम आ. मनसाराम साहू दर्ज है. इसके अलावा अन्य दस्तावेजों में मेरा पूरा नाम पूनाराम साहू आ. मनसाराम साहू दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम पूनाराम साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे पूनाराम साहू आत्मज श्री मनसाराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पूनाराम
पिता-श्री मनसाराम साहू
निवासी-ग्राम बासीन, पो. आ. करंजा भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
पिन नं. 490024

नया नाम

पूनाराम साहू
पिता-श्री मनसाराम साहू
निवासी-ग्राम बासीन, पो. आ. करंजा भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
पिन नं. 490024

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, माधुरी पासवान पति श्री बिरजू पासवान, उम्र 41 वर्ष, निवासी-ब्लॉक 7, सड़क 03, सॉई हेरिटेज फेस-1, आशीष नगर रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मुझे माधुरी कुमारी के नाम से जानी जाती थी तथा मेरे स्कूल और कालेज के रिकार्ड एवं सर्टिफिकेट में माधुरी कुमारी लिखा गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम माधुरी पासपान रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती माधुरी पासवान पति श्री बिरजू पासवान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

माधुरी कुमारी
पति-श्री बिरजू पासवान
निवासी-ब्लॉक 7, सड़क 03, सॉई हेरिटेज
फेस 1, आशीष नगर (पश्चिम) रिसाली भिलाई
जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती माधुरी पासवान
पति-श्री बिरजू पासवान
निवासी-ब्लॉक 7, सड़क 03, सॉई हेरिटेज
फेस 1, आशीष नगर (पश्चिम) रिसाली भिलाई
जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पूनाराम साहू आत्मज श्री मोतीराम साहू, उम्र 44 वर्ष, निवासी-राजीवपारा, बिजली नगर, भिलाई-3, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड में मेरा घरेलु नाम कृपाराम साहू दर्ज हो गया है, मेरा वास्तविक नाम पूनाराम साहू है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम पूनाराम साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे पूनाराम साहू आत्मज श्री मोतीराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कृपाराम साहू
आत्मज-श्री मोतीराम साहू
निवासी-राजीवपारा, बिजली नगर भिलाई-3
तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

पूनाराम साहू
आत्मज-श्री मोतीराम साहू
निवासी-राजीवपारा, बिजली नगर भिलाई-3
तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति प्रमिला साहू पति श्री भूषण लाल साहू, उम्र 43 वर्ष, जाति तेली, निवासी-वार्ड नं. 03, मिलपारा उतई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड एवं यूको बैंक के पासबुक में मेरा नाम श्रीमति प्रमिला साहू पति श्री भूषण लाल साहू दर्ज है तथा भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के चिकित्सा विभाग के दस्तावेज में मेरा नाम परमिला बाई दर्ज है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति प्रमिला साहू (Pramila Sahu) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमति प्रमिला साहू पति श्री भूषण लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
परमिला बाई पति-श्री भूषण लाल साहू निवासी-वार्ड नं. 03, मिलपारा उतई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमति प्रमिला साहू पति-श्री भूषण लाल साहू निवासी-वार्ड नं. 03, मिलपारा उतई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बिकुन लाल यादव आत्मज श्री अमोलीराम यादव, उम्र 56 वर्ष, निवासी- हाल मुकाम कान्ट्रेक्टर कालोनी, वार्ड नं. 6, सुपेला भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) स्थायी पता ग्राम सिव्दी, थाना सुरेगांव तह. गुण्डरदेही जिला बालोद (छ. ग.) का हूं. यह कि भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के केन्टीन (कोकोवन) के दस्तावेज में मेरा नाम बिकुन लाल यादव आ. श्री अमोलीराम यादव दर्ज है तथा भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थायी कर्मचारी नियुक्त होने के पश्चात् संयंत्र के समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश बिकुन्द यादव दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम बिकुन लाल यादव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे बिकुन लाल यादव आत्मज श्री अमोलीराम यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
बिकुन्द यादव आत्मज-श्री अमोलीराम यादव निवासी-कान्ट्रेक्टर कालोनी, वार्ड नं. 6, सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	बिकुन लाल यादव आत्मज-श्री अमोलीराम यादव निवासी-कान्ट्रेक्टर कालोनी, वार्ड नं. 6, सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बालोद (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 28 फरवरी 2015

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबा/परि/2015/87.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2013/688 बालोद, दिनांक 11-12-2013 के तहत भूमिहीन सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या. बघमरा पं. क्र. 1959 को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एम. एन. देवांगन व. स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं जॉन खलखो उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बालोद छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक 5-1-99-15-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/555.—को-आप. इम्पलाईज साख सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, पं. क्र. 409 दिनांक 03-11-1933 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/250 दिनांक 22-01-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को-आप. इम्प्लाईज साख सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, पं. क्र. 409 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/564.—कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या. परसदा पं. क्र. 3952 दिनांक 01-06-2000 विकास खण्ड बिल्हा जिला-बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2036 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या. परसदा पं. क्र. 3952 विकास खण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. तिवारी सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/584.—मां त्रिपुर सुन्दरी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सिरगिट्टी बिलासपुर, पं. क्र. 239 दिनांक 03-01-2007 विकास खण्ड बिल्हा को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2038 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत मां त्रिपुर सुन्दरी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सिरगिट्टी बिलासपुर, पं. क्र. 239 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शिवानी मुले, उप अंकेक्षक का उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/594.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. राजपुर (बी) पं. क्र. 3166 दिनांक 31-03-1986 विकास खण्ड तखतपुर जिला-बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2037 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. राजपुर (बी) पं. क्र. 3166 विकास खण्ड तखतपुर, जिला-बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एन. आर. भगत, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकास खण्ड तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 20 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/616.—गिट्टी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. नेवसा पं. क्र. 3738 दिनांक 06-09-1996 विकास खण्ड कोटा जिला-बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/249 दिनांक 22-01-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् गिट्टी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. नेवसा पं. क्र. 3738 दिनांक 06-09-1996 विकास खण्ड कोटा जिला-बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री श्रीकांत शुक्ला, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 20 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/617.—लखनी देवी ढेसहार सहकारी समिति मर्या. रतनपुर, पं. क्र. 3835 दिनांक 11-03-1997 विकास खण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./243/250 दिनांक 22-01-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् लखनी देवी ढेसहार सहकारी समिति मर्या. रतनपुर, पं. क्र. 3835 विकास खण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. डी. केशरवानी उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.